

## उप जिला-सदर, जनपद, इलाहाबाद ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत उप जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि का न्यूनतम मूल्य, गैर वाणिज्यिक भवनों का निर्माण मूल्य, वाणिज्यिक भवनों का प्रतिवर्ग मीटर न्यूनतम मासिक किराये की दरें, स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु निर्धारित की जाती है। यह दरें दिनांक 6-11-2007 से प्रभावी होगी तथा इन दरों का उपर्युक्त नियमावली के नियम 4(2) में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार 2 वर्ष की अवधि से पूर्व भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

### भाग-1

#### क. नगरीय क्षेत्र :-

1. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम) संख्या-2 सन् 1959 की धारा 32 के अधीन, नगर विकास अनुभाग 1 के अधिसूचना सं० 2849/9-1-95-1 परि०/94 लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 1995 के द्वारा अधिसूचना नगर निगम, इलाहाबाद में आने वाला क्षेत्र।

2- छावनी अधिनियम 1924 की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित किसी छावनी में समाविष्ट क्षेत्र।

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, की अधिसूचना, कर एवं निबन्धक अनुभाग-5, संख्या क०नि०-5-5503/ग्यारह-2004-312-(145)-2003 लखनऊ, 14 दिसम्बर, 2004 के अनुसार सृजित दो उपनिबन्धक कार्यालय, उनके क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :-

#### उपनिबन्धक प्रथम के क्षेत्र में पड़ने वाला नगरीय क्षेत्र

1-काल्विन रोड 2-कन्धई पुर 3-कृष्ण नगर 4-कलाइव रोड 5-कमला नेहरू रोड 6-कस्तूरबा गांधी रोड 7-कूपर रोड 8-कटघर 9-करनपुर 10-कोठापार्चा 11-क्रास्टवेट रोड 12-के०पी० कक्कड़ रोड 13-कर्नलगंज 14-के०पी० कालेज 15-कुलभास्कर आश्रम 16-कुचाराम गंगा प्रसाद 17-कच्ची सड़क 18-कटरा 19-कुचा श्याम दास 20-कोफतगिरा टोला 21-काटजू बाग आवासीय योजना 22-कमला नगर 23-खलासी लाइन 24-खारिया 25-गोविन्दपुर 26-गयासुदनीपुर 27-गंगानाथ झा मार्ग 28-गोसाई टोला 29-गुजराती मोहल्ला 30-गऊघाट 30ए-गढ़ी कला 31-चक पोंगहट 32-चक मुण्डेरा 33-मुण्डेरा 33-चर्च लेन 34-चिल्ला 35-चांदपुर सलोरी 36-ओम गायत्री नगर 37-चारुचन्द मित्रा रोड 38-चक 39-चौखण्डी 40-चौक 41-चाहचन्द 42-चौक गंगादास 43-छितपुर ग्राम 44-जयन्तीपुर 45-जवाहर लाल नेहरू रोड 46-जोधवाल 47-जी०टी०रोड 48-जौहरी टोला 49-जानसेनगंज 50-झपिया 51-टैगोर टाउन 52-ट्राफिक कालोनी 53-ठठेरी बाजार 54-झमण्ड रोड 55-डंडिया 55ए-डी रोड 56-ढरहरिया 57-तालाब नवन राय 58-ताशकन्द मार्ग 59-तेजबहादुर सप्रू रोड 60-तेलियरगंज 61-त्रिवेणी रोड 62-ताजियाकला 63-त्रिपोलिया

64-ताड़बाग उर्फ कदम रसूल 65-थार्नहिल रोड या महर्षि दयानन्द मार्ग 66-दारागंज 67-दरभंगा कैसल 68-दाराशाह गुलाम अली 69-दोदीपुर 70-धूमनगंज 71-नयापूरवा (निकौली चांदमारी) 72-नई बाजार बमरौली 73-नीम सराय 74-न्यू लश्कर लाइन 75-नार्थ मलाका 76-नंगी हौली 77-नेवादा 78-एन0के0मुखर्जी रोड 79-नैपियर रोड 80-नवाब यूसुफ रोड 81-न्यू कटरा 82-नालबन्द टोला 83-पोंगहट 84-पूरा गडेरिया 85-पी0ए0सी0 ग्राउण्ड 86-पी0डी0टण्डन रोड 87-पसियाना 88-पी0सी0बनर्जी रोड 89-पूरा दलेल 90-पूरा पड़ाइन 91-प्रीतम नगर 92-पन्नालाल रोड 93-पान दरीबा 94-पूरा वल्दी 95-फतेहपुर बिछुआ 96-फूलवरिया रोड 97-फकिरे गंज 98-बेगम सराय 99-बमरौली एरोड्रम 100-बैरहना 101-बिजली का पुरवा 102-बलईपुर कालोनी 103-बाघम्बरी गद्दी 104-बक्शी खुर्द 105-बक्शी कला 106-बलुवा घाट 107-बघाड़ा 108-बन्द रोड 109-बेली गांव 110-बादशाही मण्डी 111-बाबाजी की बाग 112-बाई का बाग 113-बदलेपुर कायस्थ पाठशाला 114-बख्तियारी 115-बहादुरगंज 116-बेलीरोड 117-बेली एवेन्यू 118-बटुकनाथ बनर्जी रोड 119-बजाजा 120-मुहम्मदपुर ता0 इब्राहिमपुर 121-मुण्डेरा बाजार 122-मुण्डेरा ग्राम 123-मुण्डेरा 124-मलाकराज 125-मीरापट्टी 126-मम्फोर्डगंज 127-मोतीलाल नेहरू रोड 128-मदन मोहन मालवीय रोड 129-महात्मा गांधी मार्ग 130-म्योर रोड 131-मास्टर द्वारिका प्रसाद रोड 132-मास्टर जहरूल हसन रोड 133-मिन्टो रोड 134-म्योराबाद 135-मधवापुर 136-मऊ 137-मेहदौरी 138-मोहत्सिम गंज 139-मुट्ठीगंज 140-महावीरन गली 141-मलाका कालोनी 142-मोरी 143-मीरा गली 144-मिशन रोड 145-मटियारा 146-मिन्हाजपुर 147-मीरगंज 148-महाजनी टोला 149-भुलई का पुरवा 150-भोला का पुरवा 151-भारद्वाजपुरम् 152-यूनिवर्सिटी रोड 153-रायबहादुर रामचरन दास रोड 154-रेलवे कालोनी 155-राजापुर 156-राम प्रिया रोड 157-राम नरायन लाल रोड 158-रसूलाबाद 159-रामबाग 160-रम्मन का पुरवा 161-लाल बिहारा 162-लाल बहादुर शास्त्री मार्ग 163-लायल रोड 164-लखपतराय लेन 165-लाउदर रोड 166-लाजपतराय रोड 167-लीडर रोड 168-सरायलाला 169-स्टैनली रोड 170-सरोजनी नायडू मार्ग 171-एस0बी0साइडिंग रोड 172-सी0वाई0चिन्तामणि रोड 173-स्ट्रैची रोड 174-सरदार पटेल मार्ग 175-सरकुलर रोड 176-शिवकुटी 177-सलोरी 178-सदियाबाद 179-शुतुरखाना उर्फ ऊँटखाना 180-सोहबतियाबाग 181-सुलेम सराय 182-शिलाखाना 183-शहराराबाग 184-शिवचरन लाल रोड 185-सेवा समिति रोड 186-सब्जी मण्डी 187-शाहगंज 188-सरायमीर खों 189-हरवारा 190-हासिमपुर 191-हैस्टिंग रोड 192-हटिया 193-हिबेट रोड 194-हमाम 195-आदर्श कालोनी या अछूत कालोनी 196-ओल्ड लश्कर लाइन 197-अमरनाथ झा मार्ग 198-आकलैण्ड रोड 199-अशोक नगर 200-अबुबकरपुर 201-आजाद स्ववायर 202-अलोपीबाग 203-अल्लापुर 204-अखाड़ा मान खां 205-ईदगाह 206-उमरपुर नीवा 207-ऊँचामण्डी।

### उपनिबंधक द्वितीय के क्षेत्र में पड़ने वाला नगरीय क्षेत्र

1-अटाला 2-अहमदगंज 3-अकबरपुर 4-अतरसुईया 5-अहियापुर 6-एनुउदीनपुर 7-कसारीमसारी 8-करैलाबाग 9-करैली स्कीम 10-करैली (करामत की चौकी) 11-कोलहन टोला 12-कैलाशनाथ काटजू 13-काला डाण्डा 14-करवला 15-काजीगंज 16-कक्कड़नगर 17-कल्याणपुर 18-कोतवाली 19-कालिन्दीपुरम् आवास योजना 20-खुल्दाबाद 21-खुशहाल पर्वत 22-खुशरूबाग 23-गाड़ीवान टोला 24-गुडसेड एरिया 25-गंगागंज 26-गुलाबवाड़ी 27-गुरु तेगबहादुर नगर (जी0टी0वी0 नगर) 28-घनश्याम नगर रेलवे कालोनी 29-चक निरातुल 30-चकिया 31-चौकी करामत 32-चक बाजपुर 33-जयरामपुर 34-डी0एस0ए0ग्राउण्ड 35-तुलसीपुर 36-दरियाबाद 37-दाराशाह 38-दायरा शाह अजमल 39-दायरा शाह मोहम्मद

अजीम 39ए-दायरा शाह मो0 शफी 40-नक्कास कोना 41-निहालपुर 42-नुरुल्लारोड 43-नयी बस्ती 44-पूरामदारी 45-पुराना पुलिस लाइन क्षेत्र 46-पूरा ढाकू 47-पूरा मनोहर दास 48-बेनीगंज 49-बक्शी बाजार 50-बैदन टोला 51-बाजूपुर 52-भावापुर 53-भुसौली टोला 54-मालवीय नगर 55-महामना मालवीय नगर 56-मीरापुर 57-मोहम्मद शफी 58-मीनापुर 59-याकूतगंज 60-राजरूपपुर 61-रसूलपुर 62-रानीमण्डी 63-लूकरगंज 64-सूबेदारगंज 65-सरायं खुल्दाबाद 66-सदियापुर 67-सरायगढ़ी 68-शाहनूर अलीगंज 69-स्टेशन क्षेत्र 70-सुल्तानपुर भावा 71-हिम्मतगंज

### ख. अर्धनगरीय क्षेत्र :-

1-अकबरपुर सल्लाहपुर 2-अहमदपुर असरौली कछार 3-अहमदपुर असरौली उपरहार 4-अशरफपुर 5-अहमदपुर पावन 6-अब्दुल बहावपुर 7-अस्माइलपुर कोटवा 8-इब्राहिमपुर कोटवा 9-उजाहिनी आयमा 10-उजाहिनीपट्टी कासिमपुर उर्फ फतेहपुर उपरहार 11-उजिहिनीपट्टीकासिमपुर उर्फ फतेहपुर कछार 12-कुतबनपुर 13-कुसमा 14-केशवपुर 15-कुन्दनपुर 16-गोपालपुर 17-गोविन्दपुर उर्फ लौकीपुर 18-चक पयागपुर 19-चक रसूलपुर पयागपुर 20-टिकरी कछार 21-टिकरी उपरहार 22-तेवारा 23-पट्टी अहमद कछार 24-बिहका उर्फ पूरे मुफ्ती 25-बमरौली उपरहार 26-बमरौली कछार 27-भरेठाता0 मुहीउद्दीनपुर 28-भीखमपुर मेडवारा 29-मीरापुर ता0 अहमदपुर असरौली 30-मादपुर 31-मनौरी 32-मुहीउद्दीनपुर भरेठा 33-मर्दानपुर 34-मन्दरी 35-मन्दर देह माफी 36-बेगमपुर 37-रसूलपुर काशीपुर उपरहार 38-रसूलपुर काशीपुर कछार 39-रसूलपुर मरियाडीह उपरहार 40-रसूलपुर मरियाडीह कछार 41-बाजिदपुर 42-हटवा कछार 43-हटवा उपरहार 44-हरिरामपुर 45-शेखपुर अलीपुर 46-सराय कमाल 47-जनका

### उप निबंधक द्वितीय के क्षेत्र में पड़ने वाला अर्धनगरीय क्षेत्र :-

1-अकबरपुर मिर्जापुर 2-असरावे कला 3-असरावे खुर्द 4-आदमपुर मदारीपुर 5-इंगुवा उर्फ काठगॉव 6-उमरी 7-कटहुला गौसपुर 8-कादिरपुर ता0 आदमपुर बिसौना 9-करेंहदा उपरहार 10-करेंहदा कछार 11-खटांगी 12-गांजा 13-गोहटी उपरहार 14-गोहटी कछार 15-इन्द्रभानपुर 16-चकदादनपुर 17-चक लखनपुर 18-चिल्ला मुन्जब्ता 19-चन्द्रसेन 20-जलालुर धोसी 21-जोधवल 22-झलवा 23-डाही 24-तियरा 25-दादनपुर 26-देवघाट 27-दामूपुर 28-देवरी 29-नसीरपुर सिलना 30-नुमाया 31-पीपलगॉव उर्फ शाहा 32-फुलवा 33-वीरमपुर 34-बजहा 35-वराव 36-बख्शी मोढ़ा 37-बिसौना 38-भीटी ता0 असदउल्लापुर 39-भगवतपुर 40-मुबारकपुर कोटवा 41-मुहीउद्दीनपुर अमरायन 42-मैनापुर 43-मैनापुर (खेरवा) 44-रहिमाबाद 45-रावतपुर 46-लखनपुर 47-शेखपुर सरवां 48-शेरपुर 49-सैदपुर खास

### ग. ग्रामीण क्षेत्र :-

मूल्यांकन नियमावली 1997 में दी गयी परिभाषा के अनुसार इस उप जिले में ग्रामीण क्षेत्र नहीं है।

भाग-2

उप निबंधक प्रथम

खण्ड-क नगरी क्षेत्र -

क्र. सं.	वार्ड संख्या	ग्रुप	मुहल्लों के नाम	व्यवसायिक भूमि की दर प्रति वर्गमीटर रूपयें में।		आवासीय भूमि की दर प्रति वर्गमीटर रूपयें में।	
				30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क/रास्ते पर	30 फीट तक चौड़ी सड़क/रास्ते पर	30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क/रास्ते पर	30 फीट तक चौड़ी सड़क/रास्ते पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिविल एरिया	1	नवाब यूसुफ रोड, महात्मा गांधी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, एल्गिन रोड, कमला नेहरू रोड, सरोजनी नायडू मार्ग, पी0डी0 टण्डन रोड, ड्रमण्ड रोड, क्लार्क रोड, कूपर रोड, स्ट्रैची रोड, लायलरोड, एडमास्टन रोड, ए0के0 बनर्जी रोड, थार्नहिल रोड, हेस्टिंग रोड, टी0बी0 सप्रू रोड, मेयो रोड एन0के0 मुखर्जी रोड, आकलैण्ड रोड, ताशकन्द मार्ग, पत्रिका मार्ग, पोनप्पा मार्ग, काल्विन रोड, सर्कुलर रोड, मिन्टो रोड, अशोक नगर, म्योर रोड, नेवादा हाउसिंग कालोनी, नसीबपुर बख्तियारी, कैंप्ट, कस्तूरबागांधी मार्ग।	15000	14000	10000	9000
2	टैगोर टाउन, दरभंगा कैसल	1	दरभंगा कैसल, पन्ना लाल रोड, लाऊदर रोड, मोतीलाल नेहरू रोड, सी0वाई0 चिन्तामणि रोड, टैगोर टाउन, जार्ज टाउन, चर्चलेन, लिडिल रोड, एक्सटेशन रोड, मदनमोहन मालवीय रोड, जवाहर लाल नेहरू रोड, हेमिल्टन रोड या अमरनाथ झा मार्ग	15000	12500	8250	7700
3	रेलवे एरिया	1	मलाका रेलवे कालोनी, एच0वी0 साइडिंग रोड, ट्राफिक कालोनी, लोको कालोनी, बलईपुर लोको कालोनी, ताजिया कला।	10000	9400	7150	6600
4	राजापुर, म्योराबाद	1	स्टैनली रोड	12500	10000	6600	5500
		2	स्टैनली रोड मोहल्ला का पश्चिमी भाग अर्थात् राजस्व ग्राम राजापुर देहमाफी की गाटासंख्या 201 से 213 तक तथा 246 से 260 तक का क्षेत्र (विलेख में गाटा संख्या का उल्लेख नहीं है तो संपत्ति इस क्षेत्र से बाहर मानी जायेगी)	10000	8750	4950	4400
		3	राजापुर, नेवादा हाउसिंग स्कीम, म्योराबाद हाउसिंग स्कीम	10000	8750	5500	4950
		4	राजपुर का उत्तरी-पश्चिमी भाग अर्थात् समता शिक्षा सदन से	7500	6250	3300	2750

			प्रारम्भ होकर पूर्व में नाले तक की सड़क के उत्तर तथा नाला के पश्चिम का भाग, जिसमें राजस्व ग्राम राजापुर देहमाफी की गाटा संख्या 01 से 215 तक आती हैं। विलेख में गाटा संख्या का उल्लेख नहीं है तो संपत्ति इस क्षेत्र से बाहर मानी जायेगी।				
		5	नेवादा, बेलीगांव, मऊसराय, असदउल्लापुर, नया पुरा, नकौली का पूरा, म्योराबाद, कमलानगर	7500	6900	3300	2750
5	कर्नलगंज, कटरा, नया कटरा, बख्तियारी, मम्फोर्डगंज	1	लाला लाजपतराय रोड, बेली रोड, द्वारिका प्रसाद रोड, मास्टर जहरूलहसन रोड, कर्नलगंज, बी0के0 बनर्जी रोड, रामचरनदास रोड, राम नारायण लाल रोड, बाग श्यामलदास, बेली ऐवेन्यू, मिशन रोड, कटरा, बैंक रोड, बेली उपरहार, नया कटरा, बेली मुश्तखारजा, चैथम लाइन्स, बख्तियारी, फकीरगंज, मम्फोर्डगंज, बलरामपुर हाउस,	12500	11250	7700	6600
6	तेलियरगंज	1	रसूलाबाद, मेंहदौरी गाँव	7500	6250	3300	2750
		2	तेलियर गंज, मेंहदौरी कालोनी, बदरी आवास योजना,	11250	10000	5500	4950
7	एलनगंज	1	एलनगंज, फतेहपुर बिछुआ, हाशिमपुर रोड, बन्द रोड, प्रयाग स्टेशन रोड, पी0सी0 बनर्जी रोड, नाक्स रोड।	11250	10000	6600	5500
		2	करनपुर, ढरहरिया एवं बघाड़ा।	7500	6900	3300	2750
		3	राम प्रिया रोड	7500	6900	3850	3300
8	सलौरी	1	सलौरी, सादियाबाद, जोधवल, पूरा गड़ेरिया, सराय लाला, चिल्ला, चॉदपुर सलौरी, शूतुरखाना उर्फ ऊँट खाना, शिवकुटी।	6250	5000	3300	2750
		2	ओम गायत्री नगर	10000	8750	4950	4400
9	गोविन्दपुर	1	गोविन्दपुर, काटजू बाग आवासीय योजना	7500	6900	3850	3300
10	मोहित्समगंज	1	मोहित्समगंज, चाहचन्द मिर्जा रोड, गोसाई टोला, आजाद स्ववायर, मलाका (नार्थ, साउथ)	11250	10000	5500	4950
11	शहराराबाग, बहादुरगंज	1	शहराराबाग, शिवचरन लाल रोड, क्रास्थवेट रोड, हीवेट रोड, के0पी0 कक्कड़ रोड, बहादुरगंज, कोटापार्चा, एस0सी0बसू रोड, चक पीरगंज, चक, जीरो रोड, डी रोड	15000	13750	6050	5500
		2	लखपतराय लेन	10000	9400	4950	3850
12	बादशाही मण्डी, मीरगंज	1	चाहचंद, कूचा श्यामादास, पानदरीबा, महाजनी टोला	12500	10000	4950	4400
		2	जानसेनगंज, त्रिपौलिया, जौहरी टोला, बादशाही मण्डी, मीरगंज, चौक, बजाजा पट्टी, ऊँचामण्डी, सराय मीर खॉ, लोकनाथ	15000	13750	7700	6600
13	शाहगंज, दायराशाह	1	शाहगंज, सब्जी मण्डी	15000	13750	6050	4950
		2	दायरा शाह गुलाम, दायरा शाह गुलाम अली, नालबन्द टोला,	15000	13750	6600	6050

	अजमल		चौक गंगा दास, कूचा राय गंगादास, गढ़ी कला गुजराती मोहल्ला, अहमदगंज, मिनहाजपुर, दोंदीपुर, हम्माम, लीडर रोड-ठठेरी बाजार, बजाजा पट्टी				
14	हरवारा, उमरपुर, नीवा	1	हरवारा, गिहा लाल बिहारा, रम्मन का पूरा, भोला का पूरा, तलरी ताड़बाग, भगताना, बागबूचड़, जयन्तीपुर, बेगम सराय, मिया का पूरा, पोगहट, अछूत कालोनी, पोगहट, नंगी टोला, मैदा पट्टी, पटपट, चक मुण्डेरा, उमरपुर नीवा, कन्हईपुर, चक झपिया, मीरापट्टी, नीमसराय, गयासुद्दीनपुर, मुहम्मदपुर ता0 इब्राहिमपुर	6250	5650	2750	2200
		2	नीम सराय आवासीय योजना	6250	5650	4400	3850
15	मुण्डेरा, सुलेम सराय	1	सुलेम सराय आवासीय योजना, प्रीतम नगर, धूमनगंज, मुण्डेरा, सुलेमसराय	9400	8150	4400	3850
		2	ट्रान्सपोर्ट नगर	9400	8150	4400	3300
16	मुट्ठीगंज, कटघर	1	मुट्ठीगंज, कटघर	9400	8150	4400	2750
		2	महावीरनलेन, राजेन्द्र नगर, बलुआ घाट	8750	7500	6600	6600
17	बैरहना, रामबाग, अलोपीबाग, मधवापु, दारागंज, अल्लापुर	1	बाई का बाग, बैरहना, तालाब नवलराय, क्रास्थवेट रोड, आजादनगर, ईदगाह, महावीरगंज, मलाकराज,	15000	13750	7150	6600
		2	अलोपीबाग, मधवापुर, तुलारामबाग, सोहबतिया बाग,	12500	10000	4950	4400
		3	कृष्ण नगर, कीडगंज, चौखण्डी, खलासीलाइन, पूरावल्दी, ओल्ड लश्करलाइन, न्यू लश्करलाइन, शंकरलाल भार्गव रोड	12500	11250	4950	4400
		4	पुरादलेल, अल्लापुर, मटियारा रोड, डडिया, पूरा पड़ाइन, बाघम्बरी गद्दी, बाघम्बरी बाग, बक्सी उपरहार बक्शीखुर्द, बक्शी कला, मीरा गली, दारागंज, मोरी	12500	11250	4400	3850
		5	बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम	12500	11500	4950	4950
		6	बक्शी कछार (बक्शी बाँध के पूर्व और उत्तर)	6250	5000	3300	2200

1- निम्नांकित मार्ग/सड़क से लगी भूमि का मूल्यांकन केवल उस दर से किया जायेगा जो उस क्षेत्र में भूमि के लिए व्यावसायिक वर्ग में निर्धारित है तथा निर्माण का मूल्य उसके स्वरूप के अनुसार होगा :-

1-महात्मागांधी मार्ग, 2-सरदार पटेल मार्ग (नवाब यूसुफ रोड से थार्नहिल रोड तक) 3-नवाब यूसुफ रोड, 4-लालबहादुर शास्त्री मार्ग (एल्लिगन रोड), 5-कस्तूरबा गांधी मार्ग, 6-कमला नेहरू रोड, 7-हीवेट रोड, 8-विवेकानन्द मार्ग, 9-लीडर रोड, 10-के०पी०कक्कड़ रोड/जीरो रोड, 11-स्टैनली रोड, 12-डॉ० काटजू रोड, 13-लाउदर रोड, 14-नेताजी सुभाष चन्द्र मार्ग (सूरज कुंड से जी०टी० रोड तक), 15-तिलक रोड, 16-पुराना जी०टी० रोड जो खुल्दाबाद से कोतवाली चौक होते हुए मधवापुर तक जाती है, 17-कानपुर से वाराणसी जाने वाले राजमार्ग पर, जो पुरुषोत्तम दास टण्डन मार्ग, महर्षि दयानन्द मार्ग (थार्नहिल रोड), जवाहरलाल नेहरू मार्ग, आदि के नाम से भी जाना जाता है,

नगर में विकासशील क्षेत्र की विशेष दरें – (एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित क्षेत्रफल के आधार पर) प्रति वर्ग मीटर रुपये में।

क्षेत्र/मोहल्ला /राजस्व ग्राम		सड़क पर (100 मी0 तक)			सड़क से हटकर (100 मी0 के बाद)		
		1001 से 2000 वर्ग मी0 तक	2001 वर्ग मी0 से 10000 वर्ग मी0 तक	10001 वर्ग मी0 से अधिक के लिए	1001 से 2000 वर्ग मी0 तक	1001 वर्ग मी0 से 10000 वर्ग मी0 तक	10001 वर्ग मी0 से अधिक के लिए
1		2	3	4	5	6	7
हरवारा, गयासुद्दीनपुर, झपिया, मोहम्मदपुर तालूका इब्राहीमपुर, चकपोंगहट, पोंगहट ता0 बम्हरौली, उमरपुरनीवा	1	1200	1000	800	900	700	500
सुलेम सराय	1	1850	1750	1500	1750	1200	1000

नोट :- यदि क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं का समुचित विकास हो गया है तो उपरोक्त दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि पोटेंशियल के आधार पर लागू होगी।

औद्योगिक भूमि की दर (प्रति वर्ग मी0 रू0 में)	क्षेत्र	30 फुट या 6 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर	30 फुट या 6 मीटर चौड़ी सड़क पर
	नगरीय	700	600
	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	600	500

नोट :- औद्योगिक भूमि की दरें उन्हीं क्षेत्रों में लागू होंगी जो राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित हैं अथवा जो अभिलेखों में इस रूप में दर्ज है या औद्योगिक इकाई विद्यमान है या पूर्व में थी। किसी भूखण्ड को टुकड़ों में प्लानिंग करने पर यह दर लागू नहीं होगी।

खण्ड—ख अर्द्धनगरीय क्षेत्र :-

कालम—	कृषि भूमि की दर प्रति एकड़ रू0 में					अकृषिय भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर रूपये में		
	क्रमांक	क्षेत्र / ग्राम	कछियाना / गौहान	मंझा / हार	कछार / नाला कछार	व्यवसायिक भूमि	सड़क से 50 मीटर तक	सड़क से 50 मीटर के बाद
1	क्रमांक 2 व 3 के विशिष्ट ग्रामों को छोड़कर शेष समस्त अर्द्धनगरीय क्षेत्र	1	3,85,000	3,30,000	2,75,000	1500	1100	900
2	इस्माईलपुर कोटवा, अकबरपुर सल्लाहपुर, वाजीदपुर, इब्राहीमपुर, मनौरी, मन्दरदेह माफी	1	4,95,000	3,85,000	3,60,000	2500	1650	1300
3	बमरौली उपरहार, बिहकां उर्फ पुरे मुपती, कुतबनपुर, मुहीउद्दीनपुर भरेठा, भरेठा ता0 मुहीउद्दीनपुर	1	8,45,000	6,05,000	4,95,000	5000	2200	1650

अर्द्धनगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि की उपरोक्त कालम(क) की दर से, सड़क/आबादी से संलग्न होने की दशा में निम्न अतिरिक्त प्रभार लागू होगा।

सड़क/मार्ग से संलग्न कृषि भूमि			आबादी से संलग्न कृषि भूमि	
कानपुर से वाराणसी जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग	जनपदीय एवं अन्य समस्त सड़क पर	लिंक मार्ग पर	आबादी से लगी हुई	आबादी से लगी हुई न हो किन्तु अति सामिप्य में हो (200 मीटर तक)
50%	25%	15%	25%	15%

**नोट:-** किस्म जमीन के लिए आकार पत्र-41 या 60 ख का प्रमाणित उद्धरण ही मान्य होगा।

- (क) सहखातेदार से भिन्न किसी एक व्यक्ति के पक्ष में आन्तरिक होने वाली कृषि भूमि की 0.068 हे0 तक की भूमि लिये विशिष्ट ग्रामों (जो कालम 'क' में क्रमांक 2 व 3 में उल्लिखित हैं) के लिए 25 लाख रूपया प्रति एकड़ एवं अन्य ग्रामों (जो कालम 1 में आते हैं) लिए 20 लाख रूपया प्रति एकड़ होगी तथा 0.068 से अधिक 0.137 हे0 तक के लिए क्रमशः विशिष्ट ग्रामों एवं अन्य ग्रामों के लिए 13 लाख रूपये तथा 9 लाख रूपया प्रति एकड़ होगी।
- (ख) ईट भट्टों के लिए खोदे जाने वाले मिट्टी के अन्तरण की दर 40 रू0 प्रति सौ धन फीट होगी
- (ग) कृषि भूमि का मूल्यांकन करने में सड़क पर पड़ने वाली कृषि भूमि की गाटा संख्या का पूरा रकबा सड़क पर पड़ने वाला माना जायेगा।
- (घ) कृषि भूमि का मूल्यांकन करने में यदि चौहद्दी में चकमार्ग, कच्चा रास्ता, खड़ण्जा मार्ग या प्रस्तावित रास्ता है तो निर्धारित दर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मूल्यांकन किया जायेगा।

उप निबन्धक – द्वितीय

खण्ड – क नगरीय क्षेत्र

क्रम सं०	वार्ड संख्या	ग्रुप	मुहल्ले का नाम	व्यावसायिक भूमि की दर प्रति वर्ग मी० रूपये में		आवासीय भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर रूपये में	
				30 फिट से अधिक चौड़ी सड़क पर	30 फिट तक चौड़ी सड़क पर	30 फिट से अधिक चौड़ी सड़क पर	30 फिट तक चौड़ी सड़क पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नखास कोना	1	नखास कोना	15000	12500	6050	4950
2	अतरसुईया	2	दायराशाह अजमल, दायराशाह मोहम्मद अजीम, दायरा शाह मो० शफी, गाड़ीवान टोला, नूरअलीगंज, अतरसुईया, खुशहाल पर्वत, अहमदगंज	15000	12500	5500	4400
3	छोंदीपुर	1	नूरउल्ला रोड़, कैलाशनाथ काटजू रोड़	15000	12500	6600	6050
4	सराय गढ़ी	2	सराय गढ़ी, याकूतगंज	12500	11250	5500	4950
5	लूकरगंज	1	लूकरगंज, खुसरूबाग	11250	8750	5500	4950
6	खुल्दाबाद	1	खुल्दाबाद, सराय खुल्दाबाद	15000	12500	6050	4950
7	सुल्तानपुर भावा, बख्शी बाजारी अटाला	1	अकबरपुर, सुल्तानपुर भावा, सदियापुर, रसूलपुर, गुलाबबाड़ी, बख्शी बाजार, अटाला, कोलहन टोला, बैदन टोला, काजीगंज	7500	5600	3850	3300

8	करैलाबाग, करैली, पूरा मनोहर दास, निहालपुर	1	करैलाबाग, पूरामनोहर दास, पूरामदारी, करामत की चौकी, करैली, तुलसीपुर, निहालपुर, गंगागंज	6250	5000	3300	2750
		2	गुरु तेग बहादुर नगर	12500	10000	5500	4950
9	रानी मंडी	1	रानी मंडी	15000	12500	5500	4950
10	मीरापुर	1	मीरापुर	12500	10000	5500	4950
11	मालवीय नगर, अहियापुर	1	मालवीयनगर, अहियापुर	15000	12500	6050	5500
12	राजरूपपुर, सुबेदारगंज	1	राजरूपपुर, जयरामपुर, चकनिरातुल, करबला, चकिया, भुसौली टोला, कसारी मसारी, सुबेदारगंज	7500	6250	3300	2750
		2	कसारी मसारी आवासयी योजना, कालिन्दीपुरम आवास योजना	7500	6250	3850	3850
13	बेनीगंज, हिम्मतगंज, दरियाबाद	1	बेनीगंज	7500	6250	3850	3300
		2	हिम्मतगंज, भावापुर, कालाडांडा, दरियाबाद	10000	8750	4400	3850
		3	पीपलगांव उर्फ शाहा, एनुद्दीनपुर, बाजूपुर	5000	4350	2750	2200
14	कीडगंज	1	नई बस्ती, पुराढाकू	12500	11250	4950	4400

निम्नांकित मार्ग/सड़क से लगी भूमि का मूल्यांकन केवल उस दर से किया जायेगा जो उस क्षेत्र में भूमि के लिए व्यावसायिक वर्ग में निर्धारित है। तथा निर्माण का मूल्य उसके स्वरूप के अनुसार होगा :-

1- नूरउल्ला रोड, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से लाल कालोनी तक

2- डॉ० काटजू रोड, पुराना जी०टी० रोड जो खुल्दाबाद से कोतवाली चौक होते हुए कौशाम्बी मार्ग पुरानी जी०टी० रोड से निकलकर राजरूपपुर होते हुए झलवा तक।

नगर में विकासशील क्षेत्र में विशेष दरें – (एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित क्षेत्रफल के आधार पर) प्रति वर्ग मीटर रूपये में।

क्षेत्र/मोहल्ला /राजस्व ग्राम	सड़क से हटकर (100 मी० के बाद)					
	1001 वर्ग 2000 वर्ग मी० तक	2001 वर्ग मी० से 10000 वर्ग मी० तक	10001 वर्ग मी० से अधिक के लिए	1001 से 2000 वर्ग मी० तक	2001 वर्ग मी० से 10000 वर्ग मी० तक	10001 वर्ग मी० से अधिक के लिए
1	3	4	5	6	7	8
एनउद्दीनपुर, चकबाजूपुर, करैलाबाग, पीपलगांव उर्फ शाहा, कसारी मसारी, बाजूपुर	1100	900	—	800	600	—
	1200	1000	800	900	700	550

नोट:-यदि क्षेत्र में आवासीय सुविधाओं का समुचित विकास हो गया है तो उपरोक्त दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि पोटेंशियल के आधार पर लागू होगी।

औद्योगिक भूमि की दर (प्रति वर्ग मी० रू० में)	क्षेत्र	30 फुट या 6 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर	30 फुट या 6 मीटर चौड़ी सड़क पर
	नगरीय क्षेत्र	700	600
	अर्द्धनगरीय क्षेत्र	600	500

नोट :- औद्योगिक भूमि की दरें उन्हीं क्षेत्रों में लागू होंगी जो राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित है अथवा जो अभिलेखों में इस रूप में दर्ज हैं या औद्योगिक इकाई विद्यमान है या पूर्व में थी किसी भूखण्ड को टुकड़ों में प्लॉटिंग करने पर यह दर लागू नहीं होगी।

क्र. सं.	क्षेत्र/ग्राम	कछियाना /गौहान	मंझा /हार	कछार / नाला कछार	व्यवसायिक भूमि	आवासीय भूमि	
						सड़क से 50 मीटर तक	सड़क से 50 मीटर के बाद
1	क्रमांक 2 के विशिष्ट ग्रामों एवं पीपलगांव उर्फ शाहा को छोड़कर शेष समस्त अर्द्धनगरी क्षेत्र के ग्राम	3,85,000	3,30,000	2,75,000	1500	900	800
2	छादनपुर, चकदादनपुर, रहीमाबाद, बीरमपुर, बक्शीमोढ़ा, जलालपुर घोसी, कटहुला-गौसपुर, मुबारकपुर-कोटवा, देवघाट, झलवा, बजहा, करैहदा उपरहार, लखनपुर, नसीरपुर सिलना, रावतपुर, सैदपुर खास	7,70,000	6,60,000	5,50,000	4350	2200	1650
3	देवघाट झलवा आवास योजना, देवप्रयागम् आवास योजना	—	—	—	5000	3500	3500

अर्द्धनगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि की उपरोक्त कालम की दर में सड़क/आबादी से संलग्न होने की दशा में निम्न अतिरिक्त प्रभार लागू होगा।

सड़क /मार्ग से संलग्न कृषि भूमि			आबादी से संलग्न कृषि भूमि	
कानपुर से वाराणसी जाने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग	जनपदीय एवं अन्य समस्त सड़क पर	लिंक मार्ग पर	आबादी से लगी हुई	आबादी से लगी हुई न हो किन्तु अतिसामिप्य में हो (200 मीटर तक)
50%	25%	15%	25%	15%
नोट :- किस्म जमीन के लिए आकार पत्र - 41 या 60 ख का प्रमाणित उद्धरण ही मान्य होगा।				

- (क) सहखातेदार से भिन्न किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की 0.068 हे० तक की भूमि के लिए विशिष्ट ग्रामों (जो कालम 'क' में क्रमांक 2 व 3 में उल्लिखित हैं) के लिये 25 लाख रुपया प्रति एकड़ एवं अन्य ग्रामों (जो कालम 1 में आते हैं) के लिए 20 लाख रुपया प्रति एकड़ होगी तथा 0.068 हे० से अधिक 0.137 हे० तक के लिये क्रमशः विशिष्ट ग्रामों के लिए 13 लाख रुपया प्रति एकड़ तथा अन्य ग्रामों के लिए 9 लाख रुपया प्रति एकड़ होगी।
- (ख) ईंट भट्टों के लिए खोदे जाने वाले मिट्टी के अन्तरण की दर 40 रु० प्रति सौ घन फिट होगी।
- (ग) कृषि भूमि का मूल्यांकन करने में सड़क पर पड़ने वाली कृषि भूमि की गाटा संख्या का पूरा रकबा सड़क पर पड़ने वाला माना जाएगा।
- (घ) कृषि भूमि का मूल्यांकन करने में यदि चौहद्दी में चकमार्ग या कच्चा रास्ता खडण्जा मार्ग है तो निर्धारित दर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मूल्यांकन किया जायेगा।

## वृक्षों का मूल्य

वृक्षों के वर्ग	इमारती लकड़ी के वृक्ष			फलदार वृक्ष	फलदार वृक्ष
	शीशम, सागौन	महुआ, नीम	यूकेलिप्टस तथा अन्य बड़े वृक्ष	आम, कटहल, बड़हल, लीची, बादाम तथा अन्य बड़ी प्रजाति के वृक्ष	अमरुद, बेल, कैथा, बेर आदि छोटी प्रजाति के वृक्ष
पन्द्रह वर्ष की आयु तक	5000	2500	1500	4000	2000
पन्द्रह वर्ष के बाद	6000	3500	2000	5000	2500

भाग – तीन

नगरीय व अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित गैर-वाणिज्यिक (आवासीय) भवनों का निर्माण मूल्य तथा ह्रास दरें :  
निर्माण लागत दर (प्रतिवर्गमीटर रूपये में)

1	आवासीय भवन	4500 /—
2	पक्का खपरैल, डाट, धन्नीदार, सीमेंट चादर का निर्माण	3500 /—
3	कच्चा खपरैल, धन्नीदार टिन शेड निर्माण	2500 /—
4	(क) उ० प्र० फ्लैट का स्वामित्व अधिनियम-1975 एवं फ्लैटों से सम्बन्धित अन्य सुसंगत विधि के अन्तर्गत यथापरिभाषित अपार्टमेन्ट/फ्लैट/अन्य फ्लैट के सुपर बिल्ट-अप एरिया की निर्माण दर	7000 /—
	(ख) विकास प्राधिकरण, बिल्डर्स, सहकारी आवास समिति द्वारा निर्मित डुप्लेक्स भवनों	7500 /—
	(ग) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट	4500 /—
	(घ) बहुमंजिले अपार्टमेन्ट या फ्लैट में कामन एरिया एवं कामन सुविधाओं का निम्नवत् अतिरिक्त प्रभार देय होगा— 1. सीढ़ी एवं रास्ता, खुला क्षेत्रफल के लिए कुल मूल्य का 10 प्रतिशत। 2. कार पार्किंग की सुविधा के लिए कुल मूल्य का 5 प्रतिशत। 3. लिफ्ट के लिए कुल मूल्य का 5 प्रतिशत। लेख पत्र में अन्तिम फ्लैट के वर्णन में उपर्युक्त सुविधाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई उल्लेख नहीं किया जाता तो यह माना जाएगा कि अन्तरित फ्लैट उपर्युक्त सुविधाओं से युक्त है।	
	(ङ) उच्च श्रेणी के भवन, जिसमें टिक एवम् संगमरमर आदि का प्रयोग हुआ है तो भवन के निर्माण मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।	

(ख) पुराने भवनों के लिए ह्रास मूल्य निम्न सूत्र अनुसार आगणित किया जाएगा :

निर्माण का मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल X निर्धारित दर

मूल्य ह्रास =  $\frac{\text{निर्माण का कुल मूल्य} \times \text{भवन की वास्तविक आयु}}{\text{भवन की कुल आयु}} \times 9$

स्टाम्प देयता हेतु निर्माण का मूल्य = निर्माण का मूल्य – मूल्य ह्रास

(ग) 1. निर्माण का स्क्रैप मूल्य निर्माण के कुल शुद्ध मूल्य का 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

भवन के निर्माण की तिथि से 20 वर्ष तक कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा तथा निर्माण की तिथि के प्रमाण में विक्रेता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। भवनों के निर्मित क्षेत्रफल के लिए तीन प्रतियों में नियमानुसार नक्शा लीगल साईज पेपर पर मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, छायाप्रति नहीं।

3. केवल खुली छत के अन्तरण पर छत के अन्तरित क्षेत्रफल के मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा:

(क) प्रथम तल की छत = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 75 प्रतिशत X छत का क्षेत्रफल

(ख) द्वितीय/तृतीय तल की छत = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 60 प्रतिशत X छत का क्षेत्रफल

(ग) तृतीय तक से ऊपर शेष समस्त तल की छत = भूखण्ड हेतु निर्धारित दर का 50 प्रतिशत X छत का क्षेत्रफल

(घ) भवन का मूल्य = (कुल निहीत भूमि X भूमि की दर) + (निर्माण मूल्य उपरोक्तानुसार)

(च) बहुमंजिले किसी अपार्टमेन्ट/फ्लैट/भवन की इकाई (यूनिट) का अन्तरण होने की दशा में अन्तरित अपार्टमेन्ट/फ्लैट/भवन के अनुपातिक भूमि का क्षेत्रफल निम्नवत् अगणित होगा :

बहुमंजिले अपार्टमेन्ट/फ्लैट/भवन की कुल भूमि X अन्तरित यूनिट का निर्मित क्षेत्रफल

..... = भूमि का आनुपातिक क्षेत्रफल

बहुमंजिले अपार्टमेन्ट/फ्लैट/भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल

क्षेत्र	मोहल्ला	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय एवं अन्य तलों के लिए
उ० नि० प्रथम	रेलवे एरिया, सिविल एरिया, कर्नलगंज, दरभंगा कैसल, कटरा, टैगोर टाउन, मोहत्सिमगंज, शहराराबाग, बहादुरगंज, बादशाहीमण्डी, मीरगंज, शाहगंज दौंदीपुर, मुठ्ठीगंज, कटघर (भाग-2 में क्रमांक 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 16 में उल्लिखित मुहल्ले)	110	95	85
उप नि० द्वितीय	सराय गढ़ी, लूकरगंज, खुल्दाबाद, बासमण्डी, मीरापुर, मालवीय नगर, जी०टी०बी० नगर (भाग-2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, व 14 में उल्लिखित मुहल्ले)	110	95	85
उ० नि० प्रथम	राजापुर, म्योराबाद, नया कटरा, बख्तियारी, ममफोर्डगंज, तेलियरगंज, गोविन्दपुर, एलनगंज, (भाग-2 में क्रमांक 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17 में उल्लिखित मुहल्ले)	85	70	65
उप नि० द्वितीय	करैबाबाग, करेली, पूरामनोहरदास, तुलसीपुर, निहालपुर,, सुल्तानपुर भावा, बक्शी बाजार, बेनीगंज, हिम्मतगंज (भाग-2 में क्रमांक 12, 13 में उल्लिखित मुहल्ले)	85	70	65
उ० नि० प्रथम	हरवारा, उमरपुरनीवा, मुण्डेरा, सुलेम सराय (भाग-2 में क्रमांक 7, 14, 15 में उल्लिखित मुहल्ले)	65	55	45
उ० नि० प्रथम	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्रामों के लिए	35	30	25
एवम् द्वितीय	शेष अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के लिए	30	20	15

वाणिज्यिक भवन का मूल्य = (निर्मित क्षेत्रफल X निर्धारित किराया X 300

वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।

## निर्देश

1. नगरीय क्षेत्र में सम्पत्ति किस मोहल्ले में स्थित है, क्योंकि एक ही राजस्व गाँव में कई मोहल्ले स्थित होते हैं एवं नगरीय क्षेत्र में उल्लिखित क्षेत्र/मोहल्ले के अतिरिक्त किसी नये क्षेत्र, जिसके लिए दर प्रस्तावित न हो तो निकटतम लगे क्षेत्र/मोहल्ले, जिसकी दर उच्चतम हो लागू होगी।
2. विलेख में हस्तान्तरित अचल सम्पत्ति स्थिति है, कि चौड़ाई व नाम लिखना अनिवार्य है। चौड़ाई का तात्पर्य रास्ते के प्रयोजन से छोड़ी गयी कुल भूमि से है।
3. विलेख में सड़क या मार्ग या रास्ता जिस पर सम्पत्ति स्थिति है, की चौड़ाई व नाम लिखना अनिवार्य है। चौड़ाई का तात्पर्य रास्ते के प्रयोजन से छोड़ी गयी कुल भूमि से है।
4. विलेख में सम्पत्ति क्रय करने का प्रयोजन (कृषि/आवासीय/व्यावसायिक/औद्योगिक) लिखना अनिवार्य होगा।
5. सम्पत्ति का मूल्यांकन किस सुसंगत दर से किया गया है विलेख में लिखा जायेगा। मिश्रित सम्पत्ति अर्थात् (आवासीय एवं व्यावसायिक) किस्म की की है तो उसका मूल्यांकन उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग किया जायेगा। मूल्यांकन हजार के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।
6. सहकारी आवास समिति द्वारा अपने सदस्य के पक्ष में अन्तरण विलेख में, जिसमें स्टाम्प व निबंधन शुल्क से छूट ली गयी है निम्न तथ्य लिखना आवश्यक है:  
(क) सहकारी आवास समिति की पंजीकरण संख्या तथा विक्रित सम्पत्ति का स्वामित्व का अर्जन कैसे हुआ है।  
(ख) क्रेता की सदस्यता।  
(ग) शासनादेश संख्या जिसके अधीन दावा किया गया है।
7. ऐसी सम्पत्तियां जो व्यावसायिक रूप में फ्री-होल्ड हुई है उनका पश्चातवर्ती हस्तान्तरण होने की दशा में भूमि का मूल्यांकन व्यावसायिक दर से किया जाएगा तथा निर्माण का मूल्य उसके स्वरूप के अनुसार किया जायेगा।
8. यदि कोई भूमि एक से अधिक वर्ग में आती है तो अधिकतम दर वाले वर्ग के लिए निर्धारित दर से मूल्यांकन किया जायेगा।